पत्र सं0 लि0से0/बि0रा0मु0नि0-06/2016 3135 /जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव सह-सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/शिक्षा विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/गृह विभाग/ कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ निगरानी विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाधिवक्ता, बिहार
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक 12-6-17

विषयः- **राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक-15.06.2017 को अपराह्न 03.30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत बैठक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के नियम 2.4(ए) के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का आयोजन दिनांक-15.06.2017 को अपराह्न 03.30 बजे मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के तहत राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्राप्त अभ्यावेदनों (विषय वस्तु संलग्न) पर ही उक्त बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।

अतएव अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुये वांछित प्रतिवेदन के साथ यथा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथो0।

विश्वासभाजन
सु0 प्रसाद 12/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव-सह-सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका-2.4(क) के तहत् मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष समर्पित आवेदनों की विवरणी:-

क्र0 सं0	आवेदक की विवरणी एवं पक्ष	संबंधित विभाग का पक्ष
1	* श्री दिनेश कुमार पाठक, से0नि0 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अररिया। * आवेदक के अनुसार कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1781(सचिव) दिनांक-28.05.2005 के द्वारा उन्हें प्रथम वित्तिय उन्नयन का लाभ दिया गया है एवं द्वितीय वित्तिय उन्नयन का लाभ अब तक प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक के अनुसार दिनांक-19.02.1993 के प्रभाव से उन्हें प्रथम वित्तिय उन्नयन एवं दिनांक-19.02.2003 के प्रभाव से द्वितीय वित्तिय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।	* विधि विभागीय पत्रांक-4580 दिनांक-27.07.2016, पत्रांक-1202 दिनांक-09.03.2017 एवं स्मार पत्र पत्रांक-1926 दिनांक-07.04.2017 द्वारा प्रधान सचिव, कृषि विभाग से कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।
2	* श्री ललन राय, से0नि0 मापक विशेष भू अर्जन कार्यालय, गंडक योजना मुजफ्फरपुर। * आवेदक द्वारा निदेशक भूअर्जन एवं पूर्नवास जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र सं0-क0आ0स0-16/विविध-09-03/2016-124 दिनांक-08.09.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है। आवेदक के अनुसार उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 का उल्लंघन है।	* विधि विभागीय पत्रांक-6263 दिनांक-20.10.2016 द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग एवं विधि विभागीय पत्रांक-6262 दिनांक-20.10.2016 प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।
3	* श्री सुरेन्द्र सिंह, संकलक (प्रकाशन प्रशाखा) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना। * सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-11739/1997 (सुरेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.02.2015 को पारित आदेश की कंडिका-20 के अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।	* विधि विभागीय पत्रांक-6899 दिनांक-24.11.2016 द्वारा प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। * इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग द्वारा निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है, जिसकी

		सूचना विधि विभाग को ज्ञापांक-6959 दिनांक-07.12.16 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। तद्नुसार कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।
4	* श्री कालिका पाण्डेय, से0नि0 अंचल निरीक्षक, कटिहार। * आवेदक के अनुसार वरीय प्रवर कोटि का लाभ प्रदान करने हेतु आवेदक के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिनांक-06.08.2014 को आवेदन समर्पित किया गया। दो वर्ष से अधिक का समय व्यतित होने के बाद भी अब तक उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।	* विधि विभागीय पत्रांक-149 दिनांक-11. 01.2017 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है।
5	* श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, बिहार। * आवेदक निगरानी थाना काण्ड सं0-40/2015 मामले में दिनांक-21.05.2015 से निलंबित हैं। आवेदक द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त करने हेतु CWJC No.-20262/2014 (ब्रजेश कुमार मिश्र बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-02.07.2015 को पारित न्यायादेश एवं CWJC No.-11406/2016 (श्री सुनील कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में दिनांक-02.08. 2016 को पारित आदेश को उनके मामले के समरूप मानते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।	* विधि विभागीय पत्रांक-427 दिनांक-23. 01.2017, पत्रांक-1349 दिनांक-16.03.17 एवं स्मार पत्र पत्रांक-1931 दिनांक-07.04. 17 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है।
6	* श्री दिव्य प्रकाश, पिता स्व0 हरि प्रसाद सिंह, भूतपुर्व प्रयोगशाला पदाधिकारी, जीवविज्ञान कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, बिहार। * आवेदक द्वारा उनके पिता के मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय के समक्ष दिनांक-30.11.16 एवं 20.02.16 को अभ्यावेदन समर्पित किया परन्तु अब तक उक्त अभ्यावेदनों पर आवेदक के अनुसार	* विधि विभागीय पत्रांक-698 दिनांक-07. 02.2017 एवं पत्रांक-1356 दिनांक-16.03. 17 के माध्यम से प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा कुल सचिव, जय प्रकाश विश्वद्यिालय, छपरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र

	कार्रवाई नहीं की गयी है।	लिखा गया है। उक्त के संबंध में शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-439 दिनांक-23.03.17 एवं ज्ञापांक-631 दिनांक-12.04.17 के माध्यम से विधि विभाग को अवगत कराया गया है। आवेदक के मामले पर कृत कार्रवाई की सूचना वर्त्तमान में अप्राप्त है।
7	* श्री महाशंकर मिश्र, से0नि0 विशेष सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार। * आवेदक दिनांक-31.12.2015 को विशेष सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार के पद से सेवा निवृत हुए हैं। आवेदक के अनुसार भ0नि0 निदेशालय के पत्रांक-253 दिनांक-10.02.2016 द्वारा उनके भ0नि0 लेखा सं0-BHR/BAS-3206 में संचित राशि का माह जनवरी, 2016 तक सूद की गणना कर प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया। इस प्राधिकार पत्र कं अनुसार उन्हें 23,68,752/- रुपये प्राप्त होना था। यह राशि आवेदक को दिनांक-10.03.2016 को उनके खाते में प्राप्त हुई। आवेदक के अनुसार उक्त राशि 40 दिनों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार भ0नि0 में संचित राशि पर भ0नि0 निदेशालय को सूद प्राप्त होता रहा जो उनके अनुसार 22,700/- रुपये होता है। उक्त राशि के भुगतान हेतु आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।	* विधि विभागीय पत्रांक-1103 दिनांक-27.02.2017 द्वारा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा निदेशक भ0नि0 निदेशालय वित्त विभाग, पंत भवन, पटना को पत्र लिखते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तथा उक्त आशय की सूचना गृह विभाग (विशेष शाखा) ज्ञापांक-3560 दिनांक-27.04.17 के माध्यम से विधि विभाग को उपलब्ध कराया गया है। आवेदक के मामले पर कृत कार्रवाई की सूचना वर्त्तमान में अप्राप्त है।
8	* श्री अवध किशोर, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल। * आवेदक के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति आयोग सहित की दिनांक-22.09.16 को आहुत बैठक में आवेदक को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। उनकी वरीयता क्रमांक-251 है और उनके अनुसार अबतक वरीयता क्रमांक-392 तक प्रोन्नति दे दी गयी है। परन्तु उक्त विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुशंसा के बाद भी अब तक उन्हें प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग	* विधि विभागीय पत्रांक-1640 दिनांक-23.03.2017 द्वारा प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है।

	के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिस पर आवेदक के अनुसार कार्रवाई अबतक लंबित है।	
9	* श्री लक्षमण राम, से0नि0 स्वीपर, सारण, बिहार * आवेदक के अनुसार वित्त विभागीय संकल्प सं0-3972 दिनांक-12.05.16 एवं संकल्प सं0-7577 दिनांक-23.09.16 के माध्यम से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया है। उक्त के आधार पर आवेदक द्वारा उनके वेतनमान में संशोधन करने तद्नुसार अनुषंगिक लाभ का भुगतान करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र, परसा, जिला-सारण के समक्ष दिनांक-09.01.2017 एवं 23.01.2017 को आवेदन समर्पित किया गया। आवेदक के अनुसार उक्त पत्रों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। तद्नुसार आवेदक के द्वारा राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है।	* विधि विभागीय पत्रांक-1929 दिनांक-07.04.2017 द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है।